न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 148/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/253)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 13 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरदर्शन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 13 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 05.08.2024

उपस्थितः 1.श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

——निर्णय—— दिनांक : 06.09.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/11, खाता संख्या 15/12 व राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/24 में वादीगण के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों में वादीगण के नाम क्रमशः छिन्द्रपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह व दर्शन सिंह पुत्र सरजीत सिंह अंकित है। जबकि वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम क्रमशः- सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह एंव गुरदर्शन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह दर्ज है। वादीगण के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/11, खाता संख्या 15/12 व राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/24 में वादीगण के दर्ज नाम छिन्द्रपाल सिंह पुत्र सरजीत सिंह के स्थान पर सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह व दर्शन सिंह पुत्र सरजीत सिंह के स्थान पर गुरदर्शन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 2829 दिनांक 06.09.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई। उपस्थितजनों ने बताया कि छिन्द्रपाल सिंह ही सुरेन्द्रपाल सिंह है तथा दर्शन सिंह की गुरदर्शन सिंह है। दोनों एक ही व्यक्ति के अलग-2 नाम है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/11 की प्रति, राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 15/12 की प्रति, राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/24 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/11, खाता संख्या 15/12 व राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/24 में वादीगण के अंकित नाम छिन्द्रपाल सिंह पुत्र सरजीत सिंह के स्थान पर सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह व दर्शन सिंह पुत्र सरजीत सिंह के स्थान पर गुरदर्शन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई। उपस्थितजनों ने बताया कि छिन्द्रपाल सिंह ही सुरेन्द्रपाल सिंह है तथा दर्शन सिंह की गुरदर्शन सिंह है। दोनों एक ही व्यक्ति के अलग-2 नाम है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/11, खाता संख्या 15/12 व राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/24 में वादीगण के अंकित नाम छिन्द्रपाल सिंह पुत्र सरजीत सिंह के स्थान पर छिन्द्रपाल सिंह उर्फ सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह व दर्शन सिंह पुत्र सरजीत सिंह के स्थान पर दर्शन सिंह उर्फ गुरदर्शन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलाससुनाया गया।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सुरेन्द्रपाल सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **148/2024**
निर्णय दिनांक :- 06.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/11, खाता संख्या 15/12 व राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/24 में वादीगण के अंकित नाम छिन्द्रपाल सिंह पुत्र सरजीत सिंह के स्थान पर छिन्द्रपाल सिंह उर्फ सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह व दर्शन सिंह पुत्र सरजीत सिंह के स्थान पर दर्शन सिंह उर्फ गुरदर्शन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 06.09.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	00	योग	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 06.09.2024

क्रमांक: रीडर/2024/509
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर